# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

## प्रकीर्ण आदेश संख्या–87/VIII/2020

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–426/इन्फ्रा0 सेल, इलाहाबाद दिनांकित 21–03–2020 का अवलोकन किया। उक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कोरोना वायरस के प्रसार एवं रोकथाम हेतु समस्त जनपद न्यायालयों में दिनांक 28–03–2020 तक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के अनुपालन में जनपद न्यायालय, गाजीपुर में स्थापित समस्त न्यायालय/कार्यालय दिनांक 28–03–2020 तक बन्द रहेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश अवधि में किसी एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, को मुख्यालय पर रिमाण्ड व जमानत कार्य हेतु उपस्थित रहने के लिए आदेशित करें।

जनपद न्यायालय में कार्यरत समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अवधि में सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने से भरसक बचे, अपने आस–पास भीड़ एकत्रित न होने दें न ही भीड़ में जायें। सभी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा (COVID-19) के रोकथाम हेतु जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांकः मार्च 21, 2020

(राघवेन्द्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

पत्रांक संख्या– 87(viii)/XV

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त न्यायालय/कार्यालय
2–जिलाधिकारी, गाजीपुर
3–पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर
4–मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर
5–अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन, गाजीपुर
6–जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7–जेल अधीक्षक, गाजीपुर
8–सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9–केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय, गाजीपुर, अधिवक्ता संघ, गाजीपुर, समस्त तहसीलों के सूचना पट पर चस्पा हेतु
10–वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद को सूचना हेतु।

Raghvendra 21/3/20
(राघवेन्द्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।